


कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक / रिमाण्ड / 2024 / 15

दिनांक: 22.04.2024

::आदेश::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 04/ई.वी./2024 दिनांक 16.04.2024 के अनुसरण में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के पत्रांक स्था/2024/215 दिनांक 20.04.2024 द्वारा लोकसभा चुनाव, 2024 हेतु दिनांक- 26.04.2024 का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने से दिनांक 26.04.2024 को फौजदारी प्रकरणों के आवश्यक प्रार्थना-पत्र व कार्य का निस्तारण न्यायालय में समय 11:00 ए.एम. से 01:00 पी.एम. तक करने एवं उक्त समय के अतिरिक्त रिमाण्ड ड्यूटी के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से रिमाण्ड ड्यूटी के अगले कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक अपने निवास पर उक्त कार्य करने हेतु श्री चार्विन बागमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01, अजमेर की ड्यूटी लगाई जाती है व उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले मृत्युकालिक कथन भी दर्ज करेंगे।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर

क्रमांक:- (54-71)

दिनांक:- 22.04.2024

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01, अजमेर
3. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
4. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, अजमेर
5. उप निदेशक, अभियोजन, अजमेर
6. पुलिस कन्ट्रोल रूम, अजमेर आज ही सभी थानों पर संदेश प्रसारित करे।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर।
8. प्रभारी अधिकारी, पूल वाहन, अजमेर।
9. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा, अजमेर।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर